नया भारत और
नारी नेतृत्व
आवरण कथा

33% महिला आरक्षण

लोकतांत्रिक

प्रतिबद्धता का उद्घोष...



वह किसी तय दायरे में सिमटने के लिए नहीं बनीं हैं... वह तो नई राह बनाने के लिए बनी हैं...

इसी संकल्प के साथ नया भारत उत्कृष्टता के नित नए अध्याय लिख रहा है। दशकों से आधी आबादी के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं। समापन की ओर बढ़ते 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करने का संकल्प और भी स्पष्ट हुआ है। केवल नारी उत्थान नहीं, बल्कि नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास की दृष्टि बीते 12 वर्षों में राष्ट्र की नीति का महत्वपूर्ण आधार बनी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और नेतृत्व के अवसरों में महिलाओं को सशक्त करने की अनेक पहलें इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। इसी दिशा में अग्रसर केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित विशेष सत्र ने लोकतंत्र के इस पावन मंदिर से एक बार फिर यह उद्घोष किया कि नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास की यात्रा के लिए अडिग है। नया भारत अब उस उषा की ओर बढ़ चला है, जहां हर नारी केवल सपने नहीं देखेगी, बल्कि उन्हें साकार कर, राष्ट्र के भविष्य को अपने साहस, संकल्प और सृजनशीलता से करेगी आलोकित...

नारी तू नारायणी, तुमसे ही सामर्थ्य है, तुम्ही हो राष्ट्रशक्ति। इन शब्दों में नया भारत नया इतिहास बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मंत्र अब नारी के नेतृत्व में जयघोष के लिए तैयार है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का साक्षी है, जहां नारी केवल सहभागी नहीं, बल्कि परिवर्तन का अग्रदूत बनकर राष्ट्र की दिशा और दशा निर्धारित करने वाली हैं। वर्ष 2026 में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित संसद के विशेष सत्र में राष्ट्रहित के युगांतरकारी निर्णय पर राजनीति हावी हो गई। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर आंकड़ा भारी पड़ गया। तीन दशक से अधिक समय से चली आ रही अधिकार की लड़ाई फिलहाल मुकाम पर नहीं पहुंच पाई। यह निर्णय केवल नीतिगत बदलाव या आधी आबादी को अधिकार दिलाने तक सीमित रहने वाला नही था, बल्कि सामाजिक चेतना का पुनर्जागरण का पल बनने वाला था। लेकिन इतिहास रचने के करीब पहुंच चुके इस निर्णय पर राजनैतिक नीयत उजागर हुई है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की केंद्र सरकार की दृढ इच्छाशक्ति पर संवैधानिक रूप से अनिवार्य दो-तिहाई आंकड़े यानी इतने सांसदों का समर्थन नहीं मिल पाया। अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर से स्पष्ट रूप से एलान कर दिया है कि आंकड़ों ने भले साथ नहीं दिया हो, लेकिन महिला आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय नए भारत की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है, जिसके लिए केंद्र सरकार दृढ़ है।

अगर संसद से लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता तो 2029 के आम चुनाव से लागू करने की ऐतिहासिक वैधानिक पहल विकसित भारत की यात्रा का उज्ज्वल पथ बनती। इसके लिए केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में रखा था, ताकि दशकों से बाट जोह रही मातृशक्ति केवल घर ही नहीं, राष्ट्र के नीति-निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभा सकें।

नए भारत की नई संसद ने 20 और 21 सितंबर 2023 को इस विधेयक को पारित कर इतिहास रचा था। कभी राजनीति और सत्ता को सर्वोपरि मानकर जिस विधेयक को दशकों तक लटकाया गया या यूं कहें कि केवल बातें हुईं, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यथार्थ बना दिया था। इसके लिए उन्होंने अवसर भी विशेष बना दिया था। संसद के नए भवन में प्रवेश के लिए विशेष प्रयोजन के साथ विशेष सत्र बुलाया गया था। लेकिन 2023 में बने इस



नारी शक्ति से हो रहा विकसित भारत का निर्माण

भारत की नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में परचम फहरा रही हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन केवल महिला सशक्तीकरण तक सीमित नहीं है, यह समाज की सोच और सामर्थ्य दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव का साक्षी बना है। नारी के नेतृत्व में विकास के मिशन के तहत विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका सुनिश्चित करने वाली प्रमुख पहल....

अधिकार और कानूनी सुरक्षा...

महिलाओं को अधिकार, सुरक्षा और अवसर देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभाओं में अधिकार सुनिश्चित किया तो पंचायतों को सुदृढ़ कर रहीं नारी शक्ति...

वर्ष 2029 के आम चुनाव से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लिए तीन बिल लाए गए

- संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026
- संघ-राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026
- परिसीमन विधेयक- 2026



1971-72 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही है और आज 127 सीटें ऐसी हैं जिनमें 20 लाख से अधिक वोटर्स हैं। इन सीटों पर एक मत, एक वोटर और एक मूल्य के सिद्धांत का पूर्ण उल्लंघन होता है।

कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से जमीन पर लागू करने के लिए इसमें संशोधन करना जरूरी हो गया था। अगर सरकार 2026 के बाद होने वाली जनणगना और फिर परिसीमन की प्रतीक्षा करती तो कानून बन जाने के बावजूद महिलाओं को 2029 के चुनाव से यह हक नहीं मिल पाता। इसलिए इस बार भी संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार ने नारी शक्ति को उसका हक दिलाने की ऐतिहासिक पहल और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति राष्ट्र के समक्ष रखा।

नारी नेतृत्व सांकेतिक नहीं, पूर्ण प्रतिनिधित्व

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के मुताबिक लोकसभा में सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया था। चूंकि यह संविधान संशोधन का विधेयक था, इसके लिए संसद में केवल बहुमत का आंकड़ा काम नहीं करता, बल्कि इसके लिए दो-तिहाई बहुमत का होना अनिवार्य होता है। महिला आरक्षण को 2029 से ही लागू करने के उद्देश्य को पूरा करने वाले बिल

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

33% महिला जनप्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान था 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से।



प्रावधानों के मुताबिक लोकसभा में कुल **850** सीटें होनी थी।

इनमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से **35** सांसद होते।

- बांकी सीटें मुक्त रखी गई थी, जिन पर पुरुष और महिला कोई भी चुनाव लड़ सकता है।
- एससी-एसटी का आरक्षण भी बढ़ी सीटों के अनुपात में 205 सीटें होती, जो पहले 131 थी।
- सभी राज्यों में सीटों का समान रूप से वितरण- 50% वृद्धि का मॉडल रखा गया था।
- सीटों की राज्यवार बढ़ोतरी के लिए मानक बनाया गया ताकि किसी भी राज्य को जनसंख्या के आधार पर सीटों का नुकसान नहीं हो।
- 15 साल के लिए सीटें आरक्षित होंगी लागू होने की तिथि से, जिसे संसद चाहे तो बढ़ा सकती है।
- लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल 21-22 सितंबर 2023 को पारित हुआ था। 29 सितंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बना था।
- सितंबर 2023 में बने कानून को 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया।

निर्णय-निर्माण में सशक्त भागीदारी

14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में है।

- यह कुल प्रतिनिधियों का लगभग 46 प्रतिशत है, जो दुनिया में एक अद्वितीय उदाहरण है।
- यह निर्णय-निर्माण में महिलाओं की मजबूत भागीदारी और सशक्त लोकतंत्र की मिसाल। अब भारत में महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, नीति निर्धारित की सहभागी भी हैं।



महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी की बढ़ती उत्सुकता

- पहली लोकसभा 22 महिला सदस्य
- छठी लोकसभा 19 महिला सदस्य
- आठवीं लोकसभा 44 महिला सदस्य
- 14वीं लोकसभा 51 महिला सदस्य
- 17वीं लोकसभा 78 महिला सदस्य
- 18वीं लोकसभा 75 महिला सदस्य

> हमने परिसीमन आयोग अधिनियम के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है, पुराने एक्ट को फुल स्टॉप और कौमा के साथ रिपीट किया है। यदि अतीत में इस अधिनियम का उपयोग किसी प्रकार के हेरफेर के लिए किया गया होगा, तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है।"
>
> **अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री**

पर जब लोकसभा में मतदान हुआ तो पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। यानी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बहुमत का आंकड़ा दो-तिहाई से कम था और यह बिल पारित नहीं हो पाया। यानी अब नारी शक्ति को अपने अधिकार के लिए एक बार फिर संघर्ष करना होगा। केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि पहले की तरह राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब सांकेतिक नहीं होगा, बल्कि आधी आबादी के उचित प्रतिनिधित्व को यथार्थ में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

दशकों से लंबित विधायिका में महिला आरक्षण के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प ने यथार्थ में बदला था तो आम सहमति के नाम पर लटकने वाला बिल सितंबर 2023 में ही संसद

नया भारत और
नारी नेतृत्व
आवरण कथा

तीन दशक की यात्रा

जल्द जमीन पर उतारने की प्रतिबद्धता



- वर्ष 1975 में भारत में महलाओं की स्थिति पर बनी एक समिति ने महिलाओं के घटते प्रतिनिधित्व पर टिप्पणी की थी।
- वर्ष 1981 के नेशनल प्रॉस्पेक्टिव प्लान में भी सभी निकायों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की सिफारिश की थी।
- 73वां, 74वां संशोधन भी आया लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का काम आगे नहीं बढ़ा।
- महिला आरक्षण का सबसे पहला बिल 12, सितंबर, 1996 को एचडी देवगौड़ा की सरकार के समय संविधान के 81वें संशोधन के रूप में पेश किया गया। पहले संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दी गई, रिपोर्ट आई तब 11वीं लोकसभा खत्म होने के बाद बिल खत्म हो गया।
- दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में 14 दिसंबर, 1998 को संविधान के 84वें संशोधन के रूप में बिल पेश किया गया, लेकिन 12वीं लोकसभा खत्म होते ही यह प्रयास समाप्त हो गया।
- तीसरी बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही 23 दिसंबर, 1999 को संविधान का 85वां संशोधन विधेयक पेश, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण बिल आगे नहीं बढ़ा।
- चौथे प्रयास में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में 108वां संविधान संशोधन विधेयक 6 मई 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत, स्थायी समिति में गया। रिपोर्ट आने पर 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा भारी हंगामें के बीच बिल पास हुआ। लोकसभा को भेजा गया लेकिन लोकसभा 18 मई, 2014 को जैसे ही भंग हुई, विधेयक लैप्स हो गया।
- वर्तमान सरकार में 18 सितंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को मंजूरी दी।
- 19 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक) लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर पेश किया गया। विधेयक के पक्ष में 454 वोट और विपक्ष में मात्र 2 वोट पड़े।
- 20 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 राज्यसभा में पेश, बिना किसी विरोध के 214 वोट के साथ पारित हुआ।
- 28 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पर हस्ताक्षर किया जिसके बाद यह कानून बन गया।
- 16 से 18 अप्रैल, 2026 तक संसद के विशेष सत्र में 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया गया। सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो तिहाई समर्थन में वोट नहीं हुए।

के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के साहसिक निर्णय, दृढ़ निश्चय और ईमानदार पहल से सहजता से कानून बन गया था। इससे लोकसभा-विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। लेकिन इसे धरातल पर वास्तविकता में लागू करने में तकनीकी कारणों से देरी हो रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया और 16-18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाकर सितंबर 2023 के कानून में जरूरी संशोधन का प्रस्ताव लाई।

संकल्प की प्रतिबद्धता का परिचायक बना विशेष सत्र

संसद का विशेष सत्र इतिहास रचने से भले चूक गया हो। लेकिन यह सत्र नारी शक्ति के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता का परिचायक बना है। वर्ष 2029 के आम चुनाव से महिला आरक्षण को धरातल पर लागू करने के लिए 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन जरूरी था। इसी प्रतिबद्धता को देखते हुए केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र आहूत किया और जरूरी विधेयक लेकर आई। इतना ही नहीं,



ओडिशा के पुरी बीच पर नारी शक्ति वंदन की भावना को समर्पित प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक द्वारा बनाई गई आकर्षक रेत कला-महिला सशक्तिकरण और बढ़ती भागीदारी का प्रेरक संदेश।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राजनीति की बजाए राष्ट्रहित का निर्णय बताया, नारी शक्ति का हक बताया, भारत की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का द्योतक बताया, लेकिन एक बार फिर दशकों से चले आ रहे अगर-मगर.. किंतु-परंतु ने महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने की राह में रोड़ा अटकाया है। प्रधानमंत्री ने विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से लगातार देश के सामने यह तथ्य रखा कि महिला आरक्षण को लागू करने में अब एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।

केंद्र सरकार आशान्वित थी कि सितंबर 2023 की तरह ही एक बार फिर महिला आरक्षण को लेकर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर से लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का जयघोष होगा। लेकिन सहमति नहीं बनी और विपक्ष की ओर से समर्थन नहीं मिलने से संविधान संशोधन के लिए जरूरी आंकड़े इस बिल के समर्थन में नहीं जुटाए जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता केवल संसद में संशोधन विधेयक लाने तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने इस विशेष परिचर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष को इस संशोधन के समर्थन के बदले में पूरा श्रेय देने का भी एकतरफा एलान किया। लोकसभा में परिचर्चा के लिए निर्धारित समय अवधि को भी बढ़ाया गया और पहले दिन रात एक बजे तक चर्चा चली। केंद्र सरकार ने संशोधन से संबंधित फैलाए गए भ्रम को दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब देकर समाधान भी कर दिया। सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गई, ताकि विरोध के स्वर और भावना को दूर किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा लगभग चार दशकों से राजनीतिक बहस का विषय रहा है और अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले।

इतना ही नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से महिला आरक्षण संशोधन के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। देश की महिलाओं की ओर से अपील करते हुए, उन्होंने सभी सांसदों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कुछ भी ऐसा न करें, जिससे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हों। उन्होंने कहा कि करोड़ों महिलाएं संसद, उसके उद्देश्य और उसके निर्णयों की ओर देख रही हैं। प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संशोधन को देश की महिलाओं की सेवा और सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया और सदस्यों से एक भावुक अपील भी की थी-

"मैं सभी सांसदों से कहूंगा...
आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए ...
देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है।
उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए।
ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा।
आइए... हम मिलकर आज इतिहास रचें। भारत की नारी को देश की आधी आबादी को उसका हक दें।"

जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर कोई न कोई सरकार की योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
गर्भ में बेटी की हत्या न हो

मातृ वंदना योजना
...ताकि मां को सही पोषण मिले

सुकन्या समृद्धि योजना
बेटी को पढ़ाई में मुश्किल न हो

मिशन इंद्रधनुष
बेटी को गंभीर बीमारी से बचाने वाले टीके लगें

स्वच्छ भारत मिशन
स्कूल में शौचालय की परेशानी न हो

सैनेटरी पैड अभियान
बेटी को पीरियड्स के समय न हो परेशानी

खेलो इंडिया
खेल में आगे बढ़ने का अवसर, सालाना ₹1 लाख तक मदद



उज्ज्वला योजना
धुएं से मुक्ति, मुफ्त गैस कनेक्शन

जल जीवन मिशन
सिर पर पानी न ढोना पड़े

मुफ्त राशन की योजना
राशन की चिंता खत्म

आयुष्मान योजना
5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, परिवार को इलाज की चिंता न हो

जन औषधि केंद्र
बीमारी में 80 फीसदी तक सस्ती दवा

मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह
करियर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, दुनिया के समृद्ध देशों में भी नहीं है

सैनिक स्कूल-NDA के द्वार खुले
बेटी को सेना में जाने का विकल्प

स्किल इंडिया
कौशल का विकास हो, वोकेशनल ट्रेनिंग से ड्रोन दीदी बन रही हैं लखपति दीदी



नारी शक्ति को उनका हक मिले, इसके लिए अपील के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस निर्णय को राजनीति की बजाए राष्ट्रहित के तराजू पर तोलने की भी अपील की थी। उन्होंने कहा, "हम सब भाग्यवान हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण में देश की आधी आबादी को हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। यह समय की मांग है कि हमारी नारी शक्ति देश के नीति-निर्धारण का हिस्सा बने। पिछले 25-30 वर्षों में लाखों महिलाएं ग्रास रूट लेवल पर लीडर और ओपिनियन मेकर बन चुकी हैं। इसलिए अब उनका विरोध करने वालों को लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश की नारी शक्ति को आरक्षण राष्ट्रहित का निर्णय है, जिसमें माताएं-बहनें और बेटियां हमारी नीयत को देखेंगी। इसलिए इसे राजनीति के तराजू से मत तोलिए। हम इस भ्रम में न रहें कि देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं, बल्कि यह उनका हक है। हमारी भावना क्रेडिट लेने की नहीं, बल्कि महिलाओं को और सशक्त बनाने की है।" केंद्र सरकार की यह भावना थी कि जब 2029 के आम चुनाव के बाद लोकसभा गठित हो तो कम से कम 33 प्रतिशत सांसद महिलाएं हों। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं।" भले यह बिल पारित नहीं हो सका है, लेकिन केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट हो चुकी है क्योंकि अमृत काल की ओर बढ़ते भारत में नारी शक्ति, नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व का प्रतिबिंब बनी है और केंद्र सरकार

बढ़ रही हैं आगे

- देश की बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की बुलंदियां छू रही हैं।
- दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है।
- पीएचडी एनरोलमेंट में बेटियों की संख्या 2014 की तुलना में करीब-करीब दोगुनी हो चुकी हैं।
- गणित और विज्ञान यानी स्टेम शिक्षा में बेटियों की संख्या 43 प्रतिशत हो गई है।
- 21 राज्यों में पंचायतों में महिला भागीदारी करीब-करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।



चाहती है कि विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति नेतृत्वकर्ता बनें, नारी सक्षम हों, समर्थ हों और राष्ट्र को दिशा दें।

महिला आरक्षण... जारी है यात्रा

बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर ने कहा था- "महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है।" इस सोच को साकार करते हुए केंद्र सरकार ने 2023 में ही संविधान संशोधन के जरिए केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण को जमीन पर उतारने का प्रावधान किया था। एससी-एसटी के लिए सीटों में आरक्षण पहले से ही है, उसमें ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित होना था। हालांकि 2023 में बने कानून को 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। यानी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू तो होगा, लेकिन उसमें प्रक्रियागत देरी होगी।

> देश की नारीशक्ति ने अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास से नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब हमें मिलकर इस शक्ति को नई ऊर्जा देनी है, उसके लिए अवसरों का विस्तार करना है। मैं देश की हर माता, बहन, बेटी, सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि देश उनकी आकांक्षाओं को समझता है, उनके सपनों को साकार करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है।
>
> ***नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री***

दरअसल, सबसे पहले 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के कार्यकाल में 11वीं लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल आया था। उसके बाद दिसंबर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 12वीं लोकसभा में विधेयक लेकर आई। फिर मनमोहन सिंह सरकार के समय लोकसभा में नहीं, बल्कि मई 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया। तब उसे संसद की स्थायी समिति में भेजा गया और उसकी रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में इसे पारित कर लोकसभा को भेजा गया। लेकिन, 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक भी खत्म हो गया था। अब 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए स्वरूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पेश किया, जिसे लगभग सर्वसम्मति से संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हुई। इतना ही नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है, जो कुल प्रतिनिधियों का लगभग 46%, निर्णय-निर्माण में महिलाओं की मजबूत भागीदारी और सशक्त लोकतंत्र की मिसाल हैं।

न्याय और सुरक्षा

सामाजिक कुरीतियों पर चोट हो या फिर कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण, नया भारत नारी शक्ति को न्याय और सुरक्षा का कवच प्रदान कर रहा है।





तीन तलाक पर कानून

- मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और समानता।
- इससे तीन तलाक की कुप्रथा पर कड़ा प्रहार हुआ।



निर्भया फंड

5,846.08

करोड़ रुपये का उपयोग निर्भया फंड से महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है।

मातृत्व अवकाश
12 से बढ़ाकर
26 सप्ताह तक

फास्ट ट्रैक कोर्ट



774

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, 398 विशेष पोक्सो न्यायालय सहित 31 जनवरी, 2026 तक कार्यरत्त।

- बलात्कार और यौन अपराध के मामलों में त्वरित न्याय
- वन स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन
- जरूरतमंद महिलाओं कों सहायता

भारतीय न्याय संहिता- 2023

- यौन अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान
- नारी अदालत के जरिए ग्रामीण स्तर पर पारिवारिक विवादों का समाधान

मिशन शक्ति

संबल : सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्रित

15,761 करोड़ रुपये का बजट वित्त वर्ष 2025-26 तक निर्धारित

13.37 लाख महिलाओं को 926 वन स्टॉप सेंटर पर मिली सहायता

99.09 लाख को महिला हेल्पलाइन नंबर पर मिली सहायता

सामर्थ्य : आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण पर केंद्रित

4.26 करोड़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थी

2,92,681 शक्ति सदन से सहायता

5,29,483 शक्ति निवास से लाभ

1,64,730 पालना से मदद

4,15,174 संकल्प से मदद (महिलाओं के सशक्तीकरण का क्रेंद)

महिला विवाह आयु → 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव



2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। 1976 से 2026 तक के 50 वर्षों तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

योजनाओं से नारी के जीवन में सुगमता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सोच है कि महिला सशक्तीकरण अब केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि संवेदनशील सोच और आर्थिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम है कि आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक, कला और उद्यमिता, सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वह पंचायतों में ग्रामीण विकास को नेतृत्व दे रही हैं। अनेक महिलाएं उद्योग, स्टार्टअप और कॉरपोरेट जगत में अपनी योग्यता और क्षमता से नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। खेल जगत में नारी शक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे उदाहरण यह विश्वास जगाते हैं कि अवसर और समर्थन मिलने पर महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं।

इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में माताओं-बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास हुआ है। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक

श्रम सुरक्षा

- महिलाओं के लिए खनन सहित सभी क्षेत्रों में नाइट शिफ्ट की अनुमति।
- महिलाएं माइनिंग, मेटल्स और मशीनरी जैसे कोर औद्योगिक क्षेत्र में भी काम कर रही हैं।
- हैवी इंडस्ट्री और माइनिंग कंपनियों का लक्ष्य, 2030 तक 30 प्रतिशत जेंडर डायवर्सिटी करने की।
- साथ ही, महिलाओं में बेरोजगारी की दर लगातार घट रही है, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं और समावेशिता बढ़ रही है।

26.9
लाख महिलाएं
2024–25 में
ईपीएफओ से जुड़ीं

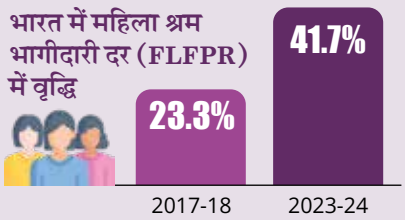



> हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है और परिसीमन के प्रावधान से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या बढ़ती है। परिसीमन का विरोध करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं।"
>
> **अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री**

वर्ष 2011 की जनगणना का उपयोग री-एडजेस्टमेंट या डिवीजन ऑफ टेरीटोरियल कॉस्टीट्यूएंसी और एससी-एसटी सीटों के एलोकेशन के लिए किया जाता। यह सरकार ने संशोधन बिल के उद्देश्यों में लिखा भी था।

ऐसी योजनाएं बनाईं हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे महिलाओं को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। उनके जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने पर पूरी गंभीरता से ध्यान दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके केंद्र में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तीकरण रहा है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटियों के जन्म, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुरक्षित बचत का अवसर प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रसोई घर को धुएं से मुक्त करते हुए महिलाओं की स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता कर रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को नए आयाम मिल रहे हैं। विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) में कई महिला केंद्रित प्रावधान किए गए हैं। इतना ही नहीं, पहले महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने की परंपरा भी नहीं रही है। लेकिन जब पीएम आवास योजना शुरू हुई, तो उसमें यह नियम बनाया गया कि पीएम आवास के घरों की मालकिन महिलाएं होंगी। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता का भी समाधान हुआ आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृवंदना योजना चल रही है, उसमें महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, ताकि उस 9 महीने के कालखंड में, वह अच्छा पोषण ले सके और पेट में पल रहा बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहे।

आज भारत नारी के नेतृत्व में विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते एक दशक से अधिक समय में महिलाओं के सामने आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए मजबूत नींव रखी गई है। भारत में स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल कर ली है। उच्च शिक्षा में भी अनुपात

आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण

देश में एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है, जहां आत्मनिर्भर बनते हुए सशक्त महिलाएं प्रगति को गति दें, नीतियों को आकार दें और पीढ़ियों को प्रेरित करें...

पीएम मुद्रा योजना

40.07
लाख करोड़ रुपये के 57.79 करोड़ से अधिक लोन दिए गए 31 मार्च, 2026 तक।

16.33
लाख करोड़ रुपये के लोन महिलाओं को 31 मार्च, 2026 तक वितरित किए गए।

67%
से अधिक लोन महिला उद्यमियों को दिए गए।

75% के लगभग लोन महिला उद्यमियों के मंजूर किए गए हैं।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ



19,500 से अधिक गांवों को 'संपूर्ण सुकन्या ग्राम' घोषित किया गया।

- बेटियों के जन्म दर के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में उल्लेखनीय सुधार।
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:** योजना के बाद 15% की बढ़ोतरी हुई है 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र की शिक्षा प्राप्त लड़कियों की संख्या में। करीब 95% संस्थागत प्रसव हुए।
- **सुकन्या समृद्धि योजना:** 3.40 लाख करोड़ रु. से अधिक की राशि करीब 4.61 करोड़ सुकन्या खाते में 28 फरवरी, 2026 तक जमा हैं। 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है।

स्टार्टअप



₹3100 करोड़ से अधिक का निवेश पिछले 6 वर्षों में सरकार ने नारी शक्ति के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में किया है।

- 1.02 लाख यानी लगभग 48% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक या साझेदार हैं।

2.12 लाख स्टार्टअप को 31 जनवरी, 2026 तक मान्यता दी गई।

स्टैंड-अप इंडिया

- योजना के तहत दिसंबर, 2025 तक 2.05 लाख लोन में 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को दी गई। इस योजना में कुल 2.75 लाख लोन में 62,790 करोड़ रुपये की राशि दी गई।
- 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के लोन महिला उद्यमियों को दिए जाते हैं।

उद्यमिता में बढ़ती भागीदारी

7.83 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई में 3.07 करोड़ एमएसएमई महिलाओं के नेतृत्व वाली हैं, 28 फरवरी, 2026 तक।

- 2 लाख महिला नेतृत्व वाले **MSEs** जेम के माध्यम से 80,000 करोड़ से अधिक के ऑर्डर प्राप्त कर चुके हैं। आज महिलाएं बड़े व्यवसाय खड़े कर रही हैं।
- स्वयं सहायता समूह- महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ उन्हें उद्यमी बना रहे हैं।





लखपति दीदी योजना

51,852 बैंक सखियों को स्वयं सहायता समूहों का ऋण सुगम बनाने के लिए तैनात किया गया है।

- सरकार ने मार्च 2027 की तय समय-सीमा के एक वर्ष से भी अधिक समय पहले, 3 करोड़ लखपति दीदियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।
- अब महिलाएं आर्थिक विकास की मजबूत भागीदार हैं। यह योजना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की नई ताकत है।
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
- भारत में करीब 1.2 करोड़ स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें 88 फीसदी पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूह हैं।
- दिसंबर, 2025 तक डीएवाई-एनआरएलएम में 10.05 करोड़ से अधिक महिलाएं 90.91 लाख एसएचजी में शामिल।
- 11.86 लाख करोड़ रुपये इन स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक की गई।
- अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का एक नया और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे इस पहल के पैमाना और आकांक्षा, दोनों को दोगुना कर दिया गया है।

पीएम उज्ज्वला

अब तक लगभग **11** करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। धुएं से भरे रसोई घर की मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए रोजमर्रा के संघर्ष से राहत दिलाई है।



- इससे महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और हर दिन लगभग 3 घंटे की अतिरिक्त समय देकर जीवन को आसान बनाया है।

पीएम आवास

3 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 9 अप्रैल 2026 तक



- पीएम आवास योजना-ग्रामीण में 72 प्रतिशत घर महिलाओं के एकल या संयुक्त स्वामित्व में, जो उन्हें सुरक्षित आवास के साथ आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की मजबूत नींव दे रहे हैं।
- अब घर के स्वामित्व में महिलाओं की मजबूत भागीदारी है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी में 2 मार्च, 2026 तक सौंपे गए 97.3 लाख आवास में से 96 लाख आवास महिलाओं के नाम पर या परिवार के पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त स्वामित्व में हैं।

जनधन से आर्थिक आत्मनिर्भरता

57.99 करोड़ जनधन खाते खुले हैं 1 अप्रैल, 2026 तक।

32.33 करोड़ से अधिक जन-धन खाते महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ रहे हैं।



56% बैंक खाते महिलाओं के नाम हैं और अब वह बैंकिंग की हीरो हैं।

- अब बैंकिंग की ताकत महिलाओं के अपने हाथों में है।
- संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा, भारत का यह मॉडल दुनिया के लिए प्रेरणा है। महिलाओं और लड़कियों के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का नया रास्ता है।

स्वच्छ भारत मिशन

12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण के साथ महिलाओं की सुरक्षा, स्वच्छता और गरिमा सुनिश्चित हो रही है।

- इससे गरिमा और सम्मान की नई शुरुआत हुई है। खुले में शौच की मजबूरी अब बीते दिनों की बात बन चुकी है।





स्वस्थ महिला सुरक्षा का आधार

मातृ स्वास्थ्य किसी भी समाज की समग्र सेहत और एक समृद्ध राष्ट्र के लिए बहुत अहम है। महिलाएं स्वस्थ होती हैं, तो इसका सीधा असर परिवारों और समुदायों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर पड़ता है। इस दिशा में नया भारत स्वस्थ मातृत्व के जरिए कर रहा है एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण...

पोषण

- 9 से 23 अप्रैल 2026 तक पोषण पखवाड़े का 8वां संस्करण आयोजित।
- पोषण पखवाड़ा 2026 का विषय "जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना" रहा।
- बेहतर पोषण परिणामों के लिए अब पोषण 2.0 शुरू किया गया।
- पिछले 4 वर्षों में 11 हजार करोड़ रु. से अधिक का आवंटन हुआ।
- पोषण : अभियान के 10.09 करोड़ लाभार्थी। वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर लॉन्च। 100% परिष्कृत चावल वितरण की हो चुकी है शुरुआत।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

4.78 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत।

4.26 करोड़ लाभार्थी को मिला लाभ

₹20,073 करोड़ योजना के तहत लाभार्थियों को दिए गए।

- 5,000 रुपये की राशि लाभार्थी को प्रथम जीवित बच्चे पर दो किस्तों में दी जाती है।
- 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि लाभार्थी को दूसरे बच्चे के बालिका होने पर दी जाती है।

सेनेटरी पैड

15 हजार से अधिक पीएमबीजेपी केंद्रों पर 1 रुपये में सेनेटरी पैड की बिक्री।

- 72 करोड़ रुपये की सेनेटरी पैड की बिक्री 31 जनवरी 2025 तक हो चुकी है।



गर्भपात की समय सीमा

हिंसा पीड़ित महिलाओं को राहत देने के मकसद से सरकार ने हाल ही में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को मंजूरी दी है जिसमें गर्भपात के लिए समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है।

1976 में देश की आबादी 54.79 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। सरकार का दायित्व है कि जब सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के कामकाज के दिनों की संख्या भी बढ़ाए।

की दृष्टि से लड़कियों की संख्या अधिक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्म यानी स्टेम शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रावधान किया गया है। लड़कियां ज्ञान अर्थव्यवस्था में नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार हो रही हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आज जब एक ग्रामीण महिला खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ाती है तब वह केवल फसलों पर छिड़काव नहीं कर रही होती है, बल्कि वह तकनीक से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही होती है। जब एक महिला अपनी उद्यमशीलता के बल पर लखपति दीदी बनती है तब वह अपने आस-पास की अनेक महिलओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। ऐसे सकारात्मक परिवर्तनों में शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और संरचनात्मक सुधारों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्किल इंडिया मिशन महिलाओं को गैर परंपरागत क्षेत्र में कुशल बना रहा है। महिलाएं नौकरी देने वाले की भूमिका में भी आगे बढ़ रही हैं।

प्रसवपूर्व देखभाल-सुरक्षित मातृत्व की ओर पहला कदम

- केंद्र सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (**PMSMA**) की शुरुआत की, ताकि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, भरोसेमंद, समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध कराई जा सके।
- 7 करोड़ से अधिक महिलाओं को मार्च 2026 तक इस पहल का लाभ मिल चुका है।
- 22,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र पर वर्तमान में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सेवाएं दी जा रही हैं।

जल जीवन मिशन

15.84 करोड़ (81.84%) घरों में मिलने लगा नल से जल, 20 अप्रैल 2026 तक।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्ययन बताता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल उपलब्ध कराए जाने से जल संग्रह में लगने वाले समय में महत्वपूर्ण बचत (प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे) होगी, विशेषकर महिलाओं के मामले में क्योंकि इस काम का तीन चौथाई हिस्सा वहीं करती हैं।
- एसबीआई अध्ययन बताता है घरों में बाहर से पानी लाने वालों की संख्या में 8.3 प्रतिशत गिरावट आई है। करीब 9 करोड़ महिलाओं को अब पानी लाने की जरूरत नहीं होती। 7.4 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी कृषि और संबंधित कार्यों में बढ़ी है।

जन्म के समय लिंग अनुपात
(प्रति 1000 लड़कियां)



918 (2014-15) → 929 (2024-25)

टीकाकरण: माताओं और नवजातों की सुरक्षा

- वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई।
- उद्देश्य गर्भवती महिलाओं सहित सभी के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना है।

1.15 करोड़ 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर से देशभर में मुफ्त एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया।

- उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकना है, जो देश में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है।



देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में आधे से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक है। जेम पर वर्तमान में दो लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2026-27 में शी-मार्ट (SHE-Mart) पहल की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में समुदाय द्वारा संचालित रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। पिछले वर्ष लागू की गई श्रम संहिताओं में महिला श्रमिकों के लिए अधिक समावेशी, सुरक्षित और सशक्त कार्य वातावरण का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक न्याय और सुरक्षित वातावरण

जब महिलाएं सुरक्षित और समृद्ध होती हैं, तो दुनिया भी समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तीकरण विकास को बल देता है। शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को प्रेरित करती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनके विचार सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला-नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है। भारत ने इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वह एक साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि से आती हैं। लेकिन अब वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करती हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े

नेतृत्व और सम्मान

जब दो महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राष्ट्र को संबोधित किया, तो यह सिर्फ़ एक मिशन अपडेट नहीं था, वह एक ऐसा पल था जिसने बदलते भारत की भावना को दर्शाया। यह क्षण पूरे देश को प्रेरणा देने वाला तथा नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करने वाला था।

सैन्य बल-सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों के लिए भी प्रवेश

- 2022 से नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) में महिला कैडेट्स का प्रवेश शुरू हो चुका है।
- महिलाएं अब भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में स्थायी कमीशन के लिए पात्र हैं।
- बीते 10 वर्ष में भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की संख्या 4 गुना बढ़ी है।

भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या

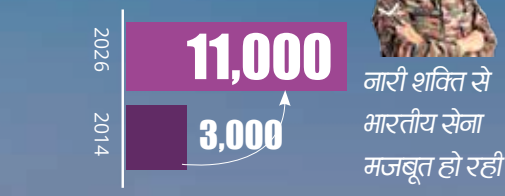



नारी शक्ति से भारतीय सेना मजबूत हो रही

- महिला अधिकारी अब लेफ्टिनेंट जनरल, फाइटर पायलट और यूनिट कमांडर जैसे महत्वपूर्ण नेतृत्व वाले पदों पर कार्यरत हैं।
- महिलाओं को 12 विभाग और सेवाओं में स्थायी कमीशन (**Permanent Commission**) दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं के प्रवेश में प्रगति हुई है, मई 2025 में 17 महिला कैडेट और नवंबर 2025 में 15 महिला कैडेट स्नातक हुईं।
- पहली बार, 75वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं के एक संपूर्ण महिला दल ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इसके अलावा, भारत को गर्व है कि वह विश्व का पहला देश है जिसने पूरी महिला पुलिस यूनिट को शांति स्थापना मिशन के तहत 2007 से 2016 तक संयुक्त राष्ट्र मिशन इन लाइबेरिया (**UNMIL**) में तैनात किया।
- संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता रणनीति के अनुरूप, जिसका लक्ष्य 2028 तक सैन्य टुकड़ियों में 15% महिलाएं और स्टाफ अधिकारी या पर्यवेक्षक के रूप में 25% महिलाओं को शामिल करना है, भारत ने स्टाफ अधिकारी और पर्यवेक्षक श्रेणी में पहले ही 22% प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया है।

154 से अधिक भारतीय महिलाएं 2025 तक छह संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में कार्यरत।



26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने पुरुष सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व कर इतिहास रचा। पहली बार किसी महिला अधिकारी ने सीआरपीएफ के पुरुष दल की कमान संभाली।

महिला पायलट

भारत इस क्षेत्र में आयरलैंड (9.9%) और अमेरिका (5.5%) से भी आगे है।



विज्ञान-तकनीक



12.5 लाख महिलाएं विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कार्यबल के रूप में हर साल जुड़ रही हैं।

- इसरो के आदित्य एल-1 और चंद्रयान-3 जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में महिलाओं की प्रमुख भूमिका।
- भारत में 43 प्रतिशत स्टेम ग्रेजुएट महिलाएं हैं जो कि दुनिया में सबसे ऊंचे प्रतिशत में से एक है।
- आज महिलाएं सरकारी और निजी क्षेत्र में संयुक्त रूप से एसटीईएम-संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल का लगभग 18.6 प्रतिशत हैं, यह हिस्सा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अधिक महिलाएं अनुसंधान, नवाचार और उच्च-प्रौद्योगिकी भूमिकाओं में आगे बढ़ रही हैं।
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2021-22 बताती है कि अब विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों में कुल पीएचडी नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी 41% है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की बढ़ती रुचि और जुड़ाव को दर्शाता है।
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-22 के अनुसार देश में उच्च शिक्षा स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषयों में कुल नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी 43% है।
- अनुसंधान और विकास सांख्यिकी रिपोर्ट-2023 के अनुसार, देश में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों में एसटीईएम पेशेवरों के रूप में कार्यरत कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 18.6% है।
- भारत के आदित्य-एल1 मिशन का नेतृत्व एक महिला कर रही है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और इसकी छह प्रयोगशालाओं का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और चंद्रयान-3 मिशन में एक महिला नेतृत्व की भूमिका में थी
- रिसर्च इनोवेशन में महिला रिसर्चर सालाना 5,000 से अधिक पेटेंट फाइल कर रही हैं। जबकि कुछ समय पहले तक इनकी संख्या 100 से भी कम थी।



25%
सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी

> अनेक अध्ययनों में यह सामने आया है कि जब निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी, तो इससे व्यवस्थाओं में भी संवेदनशीलता आई है। और ये बहुत बड़ी ताकत होती है, और इसका परिणाम है पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ऐसे कई विषयों पर ज्यादा समर्पण भाव से, ज्यादा संवेदनशीलता से, परिणामकारी काम हुए हैं।"
>
> ***नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री***

रक्षा बल की कमांडर-इन-चीफ के रूप में योगदान दे रही हैं। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और विकास में समान रूप से सहभागी बनाने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा से जुड़े अनेकों प्रयास किए गए हैं। आज देश की प्राथमिकता, महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने और भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी में है। बेटा-बेटी को एक समान मानते हुए बेटियों के विवाह की आयु को भी 21 वर्ष करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। आज देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े कानून हैं, बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में फांसी का भी प्रावधान किया गया है। देशभर में बड़ी संख्या में फास्टट्रैक कोर्ट बनाई जा रही हैं और कानूनों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए भी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। थानों में महिला सहायता डेस्क की संख्या बढ़ाना हो, चौबीस घंटे उपलब्ध रहने वाली हेल्पलाइन हो, साइबर क्राइम से निपटने के लिए पोर्टल हो, ऐसे अनेक प्रयास महिलाओं की सुरक्षा के कवच बन रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति से काम कर रही है।

सिर्फ कानूनी संरक्षण ही नहीं, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए भी केंद्र सरकार ने अभियान चला रखा है। केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं के जरिए परिवार की महिलाओं को ही केंद्र में रखकर दस्तावेज दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, पहले जम्मू-कश्मीर में गैर कश्मीरी से विवाह करने पर महिलाओं और उसके बच्चों को पैतृक संपत्ति के हक से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन अनुच्छेद-370 और 35ए को निरस्त

उच्च शिक्षा तक नारी शक्ति की पहुंच

शिक्षा तक नारी शक्ति की पहुंच वैश्विक प्रगति को प्रेरित करती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनके विचार सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करते हैं। इसलिए बीते 12 वर्षों में समग्र दृष्टिकोण के साथ हुई है पहल...



उच्च शिक्षा में महिला सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

22.9% 2014-15

30.2% 2022-23



पीएचडी. में महिला शोधार्थी

64,724

महिला शोधकर्ता की संख्या बढ़ी, 2014 के बाद।

- नामांकन में 135.6% की असाधारण वृद्धि (2014–15 से 2022–23 तक)

एआईसीटीई

35,998

लड़कियों तक पहुंची एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2024-25 में।

स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

- केंद्र सरकार की ओर से योजना की शुरुआत 2023–24 में की गई।
- 30% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित।



महिलाओं के लिए वरदान!

- 72 लाख से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब तक हुईं प्रशिक्षित।

45% महिलाएं हैं पूरे भारत में कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में।

विज्ञान ज्योति योजना

300 जिलों में 80,000 से अधिक मेधावी लड़कियों को विज्ञान ज्योति योजना से मिला लाभ।

किए जाने के बाद इस क्षेत्र की महिलाओं को उनका हक मिला है। प्रवासी भारतीयों द्वारा शादी करने और फिर छोड़ देने जैसे मामलों में भी कानून को सख्त बनाया गया है। सामाजिक स्तर पर भी तीन तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, कानून बनाकर उन्हें रोका है। करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को आज तीन तलाक की अमानवीय कुप्रथा से सुरक्षा मिली है। इस कानून के लागू होने से कुछ ही वर्षों में तीन तलाक के मामले में 80-82 प्रतिशत की कमी आई है। भारत की महिलाएं आज स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, दृढ़ संकल्प से लैस हैं, सुरक्षा का भाव है और सिर्फ सपने देख नहीं रहीं, बल्कि उसे साकार भी कर रही हैं। उसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दृढ़ निश्चयी सरकार के प्रयास हैं। जिसकी वजह से दशकों से चली आ रही लड़की या महिला को कमतर मानने की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया है।

समग्र दृष्टिकोण के साथ महिला शक्ति को केंद्रीय भूमिका में लाने के केंद्र सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व हो या सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल उड़ाना या मोर्चे पर दुश्मनों से मुकाबला करना या खेल जगत के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करना या फिर स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर बराबरी के साथ देश की आर्थिक तरक्की को संबल देना, महिला शक्ति पुरुषों के साथ सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि उनसे कहीं

कृषि क्षेत्र में महिला शक्ति

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा महिलाओं के श्रम, कौशल और समर्पण पर आधारित है। खेतों में बुवाई, निराई-गुड़ाई, कटाई, पशुपालन, बीज संरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अनेक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रहती है। इसलिए तकनीकी प्रशिक्षण से महिलाओं का विशेष समूह हो रहा है तैयार और खुल रहे हैं आय के नए अवसर...

अवसर ही अवसर

- खेत में फसल का काम हो या पशुपालन, आज गांव की बेटियों के लिए अवसर ही अवसर है।
- गांवों में नमो ड्रोन दीदियां खाद और कीटनाशक के छिड़काव के आधुनिक तौर तरीकों का नेतृत्व कर रही हैं।
- 70 हजार कृषि सखियां प्राकृतिक खेती के संदर्भ में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं।

1,094

ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए, जिसमें नमो ड्रोन दीदी पहल के अंतर्गत 500 ड्रोन वितरित किए।



कृषि क्षेत्र में महिला शक्ति

11.61 लाख से अधिक
महिला किसानों को फरवरी 26 तक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) योजना के तहत प्रशिक्षण।

2,377 करोड़ रुपये
का समर्थन 8,190 महिला-नेतृत्व वाली परियोजनाओं को कृषि अवसंरचना कोष (AIF) से 28 फरवरी 2025 तक मिला।

FPOs योजना

- 10,000 **FPOs** योजना के तहत (फरवरी 2026 तक) प्रत्येक **FPO** के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक महिला सदस्य।
- 1,175 **FPOs** में 100% महिला शेयरधारक और 1,084 **FPOs** में 50% से 99% महिला सदस्य।

₹1.01 लाख करोड़ से अधिक **PM-KISAN** योजना के प्रारंभ से अब तक महिला लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं।

15,000 ड्रोन, महिला स्वयं सहायता समूहों को कुल 1,261 करोड़ रुपये से नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान।



आगे निकल राष्ट्र का अभिमान बन रही हैं। महिलाओं ने अपनी अद्भुत क्षमता से यह साबित कर दिखाया है कि अगर उन्हें समान अवसर मिले तो सिर्फ घर ही नहीं, एक समृद्ध, गौरवशाली राष्ट्र का भी निर्माण कर सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के समान महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी से भारत की जीडीपी में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि 50 प्रतिशत कुशल महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं तो विकास दर 1.5 प्रतिशत बढ़कर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष हो सकती है। नए भारत में महिलाओं को श्रम बल में शामिल किए जाने की आवश्यकता ही है कि केंद्र सरकार निरंतर महिलाओं को समानता के अवसर और सुरक्षित वातावरण देने के लिए नए संकल्पों के साथ नित नई-नई पहल कर रही है। किसी भी संकल्प के साथ साधना जुड़ जाती है और मानव मात्र के साथ ममभाव जुड़ जाता है तो एक नए कालखंड का जन्म होता है, नया सवेरा होता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' यही अमृतभाव आज अमृत काल में नए भारत के लिए उमड़ रहा है।

यही कारण है कि आज भारत में लगभग एक-चौथाई महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान, गगनयान और मिशन मंगल जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता के पीछे महिला वैज्ञानिकों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महिला पायलटों के मामले में भारत उच्चतम प्रतिशत वाले देश में शामिल

खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन

भारत की बेटियों ने जब महिला क्रिकेट के इतिहास में पहली बार विश्व कप अपने नाम किया तो इन जुझारू बेटियों का मुंह मीठा कराया प्रधानमंत्री मोदी ने। यह साक्षी है कि नया भारत नारी शक्ति को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व दे रहा है और भारत की महिला एथलीट देश के खेल इतिहास में लिख रही हैं एक नया अध्याय...



ओलंपिक में महिला एथलीटों का प्रदर्शन

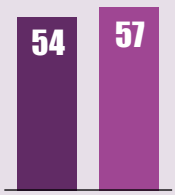

- प्रतिभागियों की संख्या 2008 में 25 थी, जो 2012 में 23 रह गई थी।
- 2024 के पेरिस ओलंपिक में 47 महिलाओं ने ली हिस्सेदारी।

खेलो इंडिया



9.5 करोड़ रुपये 'खेलो इंडिया-स्पोर्ट्स फॉर विमेन' योजना के तहत अब तक जारी किए।

- योजना के तहत 21 खेलों में 575 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- 60,000 से अधिक महिला एथलीटों ने फरवरी 2024 तक भाग लिया।

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया।

महिला खिलाड़ियों ने दिलाए पदक

23 

पदक महिला खिलाड़ियों ने दिलाए, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल 61 पदकों में से।

- 2023 एशियाई पैरा खेलों में 111 में से 40 पदक महिला खिलाड़ियों ने जीतकर रचा इतिहास।
- पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 में से दो पदक और पैरालंपिक में 29 में से 11 पदक जीतकर चमक बिखेरी।

रचा इतिहास

- अवनि लेखरा 2024 के पैरालंपिक खेलों के इतिहास में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
- वर्ष 2025 में भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने पहला दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचा।
- टोक्यो ओलंपिक-2020 में शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रचा। बैडमिंटन इतिहास में भारत के लिए दो मेडल जीतने वाली पहली शटलर बनीं, साथ ही इंडिविजुअल गेम में ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट भी बनीं।
- पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली मनु भाकर भारत की पहली महिला निशानेबाज बनीं।

हैं। साथ ही, भारतीय वायुसेना में महिला पायलट अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। सभी सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को ऑपरेशनल भूमिकाओं और लड़ाकू मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है।

पिछले 10 वर्षों में भारतीय सेनाओं में महिला अधिकारियों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़कर 3,000 से 11,000 से अधिक हो गई है। आज महिलाएं फाइटर पायलट, लेफ्टिनेंट जनरल और यूनिट कमांडर जैसे अहम नेतृत्व पदों पर देश की सेवा कर रही हैं। सैनिक स्कूलों और नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) के द्वार लड़कियों के लिए खुले, तो इससे बदलाव की एक लहर चली और कई लड़कियों को रक्षा क्षेत्र में आने का अवसर मिला है।

... जब नारी सशक्तीकरण बना संकल्प

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करेगा। वर्ष 2047 तक के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी के नेतृत्व में विकास की बात समग्र विश्व के सामने रखी। जी-20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने दुनिया को यह अहसास कराया कि मातृशक्ति, बेटियां न केवल नीतियों में सहभागिता कर सकती हैं, बल्कि नीति-निर्धारण में अपने पद को भी सुरक्षित कर पाने में सक्षम हैं। इसकी वजह है कि वर्तमान केंद्र सरकार के लिए महिला सशक्तीकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक संकल्प है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी

जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वेतन के रूप में मिली सारी राशि को गुजरात सचिवालय के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई के लिए दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें जितनी भेंट मिली थी, उसकी नीलामी से मिलने वाली राशि भी बच्चियों की पढ़ाई के लिए दान दी थी। कल्पना कीजिए कि आप 140 करोड़ देशवासियों के चुने नेता हैं, जिनके सोशल मीडिया पर बड़े प्रशंसक समूह हैं और पीएम मोदी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से 7 महिलाओं को पूरे दिन के लिए सौंप दिया था। कैसी अनुभूति होगी आपको। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना ट्विटर अकाउंट 7 महिलाओं को सौंप दिया था। वर्ष 2025 में भी इस अवसर पर उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट नारी शक्ति को सौंपा था। कथनी और करनी में साम्यता का यह अद्भुत उदाहरण ही दरअसल नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति को समान अधिकार और अवसर दे रहा है।

निश्चित रूप से देश की नारी शक्ति का सशक्तीकरण आज राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा है। बढ़ती अर्थव्यवस्था की लाभार्थी नारी है और उसे गति देने में भी नारी का बहुत बड़ा योगदान है। स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक बेटियां छाई हुई हैं। खेल के मैदान में छाई हुई है, फौज में चमक रही है, आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिलाकर देश की विकास यात्रा में भागीदार बन रही हैं। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि देश तेजी से प्रगति करे और नागरिकों की पूर्ण क्षमता का राष्ट्र हित में उपयोग हो। इसके लिए जरूरी है कि बेटियों को न केवल ऊंचे सपने देखने के लिए प्रेरित करें, बल्कि उन सपनों को पूरा कने में उनका हर कदम पर सहयोग भी करें। भय और भेदभाव मुक्त वातावरण में महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकती हैं। अमृत काल में नए संसद भवन में पहला बिल नारी शक्ति के वंदन का और इसी संसद से उसे जमीन पर उतारने की सरकार ने फिर ऐतिहासक पहल कर प्रतिबद्धता दिखाई। भारत के प्रधान सेवक, सच्चे कर्मयोगी, साधक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रचने को प्रतिबद्ध है क्योंकि भारत के ग्रंथ, भारत की संस्कृति कहती है...

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:

वुमनिया पहल...
महिला उद्यमियों की बाजार तक आसान पहुंच

- वुमनिया एक समावेशन केंद्रित पहल है। महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को उद्यम सत्यापन एवं आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से एक डिजिटल प्रक्रिया के जरिए प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाता है।
- यह महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को जेम पोर्टल के माध्यम से अपने उत्पादों को सीधे सरकारी खरीदारों को बेचने में सक्षम बनाती है।
- इस पहल के अंतर्गत हस्तशिल्प, हथकरघा, जूट, नारियल रेशा, घरों एवं कार्यालयों में साज-सज्जा जैसी निर्धारित श्रेणी के उत्पाद सम्मिलित किए गए हैं।
- यह पहल महिला उद्यमियों को बाजार में बेहतर पहचान प्रदान कर, खरीदार और विक्रेता के बीच पारदर्शी संवाद सुनिश्चित करती है जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर 2.1 लाख से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमी पंजीकृत हुए, जिन्हें 13.7 लाख ऑर्डर प्राप्त हुए।





महिला आरक्षण

आपके हर सवाल का जवाब

Q **16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में कौन-कौन से विधेयक पेश किए?**

A 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन प्रमुख विधेयक पेश किएः

- संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026
- परिसीमन विधेयक, 2026
- संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026

Q **केंद्र सरकार द्वारा यह तीनों बिल वर्तमान समय में क्यों लाया गया?**

A नारीशक्ति वंदन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद, होने वाले परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार 2026 जनगणना और फिर उसके आधार पर परिसीमन की प्रतीक्षा करती तो महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ 2029 के आम चुनाव में भी नहीं मिल पाता, इसीलिए देश की आधी-आबादी को जल्द-से-जल्द लाभ पहुंचाने के लिए इसको 2026 जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन से अलग (**Delink**) करना जरूरी था।

Q **नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ अभी परिसीमन की बात क्यों लायी गई? सरकार इतनी ज्यादा सीटें क्यों बढ़ा रही थी?**

A परिसीमन का अर्थ है किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसीमन आवश्यक है।

लोकसभा में सीटों की संख्या को 1976 में 550 निर्धारित किया गया था। 1971 में भारत की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी। आज यह 140 करोड़ है। इसलिए लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना महत्वपूर्ण है। इससे संसद में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा।

Q **अगर यह तीनों विधेयक सदन से पारित हो जाते तो इससे देश को क्या लाभ होता?**

A यदि ये तीनों विधेयक सदन से पारित हो जाते, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाते और देश की महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनाव में ही 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकता था, जिससे उनका लंबे समय से प्रतीक्षित अधिकार प्राप्त होता।

Q **क्या केंद्र सरकार Delimitation Commission Act में बदलाव करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी? जब कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तब यह सरकार क्यों बिल लाई, क्या इसका तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हो रहे चुनाव पर असर होगा ?**

A केंद्र सरकार ने **Delimitation Commission Act** में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि पुराने कानून को यथावत रखा। परिसीमन आयोग की सिफारिशें तभी लागू होतीं जब संसद उन्हें मंजूरी देती और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती। वर्तमान में हो रहे चुनावों, जैसे तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, पर इस प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 2029 तक सभी चुनाव मौजूदा व्यवस्था और वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही कराए जाएंगे।

Q लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के पीछे मुख्य कारण और तर्क क्या थे?

A यह प्रस्ताव जनसंख्या के अनुपात में सीटों के विस्तार पर आधारित था। एक समान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का अनुपात अभी की तरह बना रहता। इस सिद्धांत के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान की 543 से बढ़कर लगभग 815 होती। इसलिए लोकसभा में सीटों की संख्या की अधिकतम सीमा 550 से बढ़कर 850 की जा रही थी।



Q क्या नए परिसीमन प्रस्ताव से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान होता?

A नहीं, नए परिसीमन प्रस्ताव से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को कोई नुकसान नहीं होता। प्रस्ताव के तहत सभी राज्यों की सीटों में समान अनुपात में वृद्धि (50%) की बात थी, जिससे किसी राज्य का प्रतिनिधित्व प्रतिशत घटने के बजाय यथावत रहता या थोड़ा बढ़ता।

Q क्या नए परिसीमन प्रस्ताव से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिनिधित्व और अधिकारों को नुकसान पहुंचता?

A हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न वर्गों के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण और वृद्धि होती है। यदि ये तीनों विधेयक पारित हो जाते, तो लगभग 850 सीटों वाले सदन में आरक्षित सीटों की संख्या 131 से बढ़कर करीब 205 हो जाती, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व और अधिकारों में वृद्धि होती, किसी प्रकार का नुकसान नहीं।

Q क्या नए परिसीमन प्रस्ताव में दक्षिण भारतीय राज्यों या छोटे राज्यों को नुकसान होता?

A नहीं, सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50 प्रतिशत वृद्धि होती। दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं आती। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, दक्षिणी राज्यों के पास वर्तमान में लोकसभा में 23.76 प्रतिशत सीट हैं। विधेयकों के पारित होने के बाद यह बढ़कर लगभग 23.87 प्रतिशत हो जातीं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु की सीटें भी इसी अनुपात में बढ़तीं और राज्य को कोई नुकसान नहीं होता।

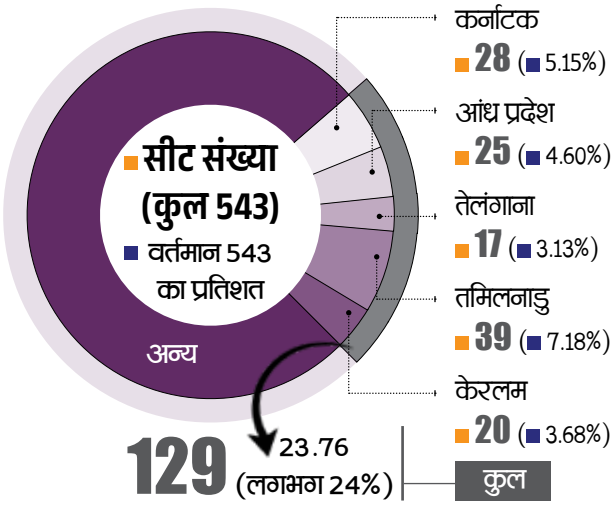

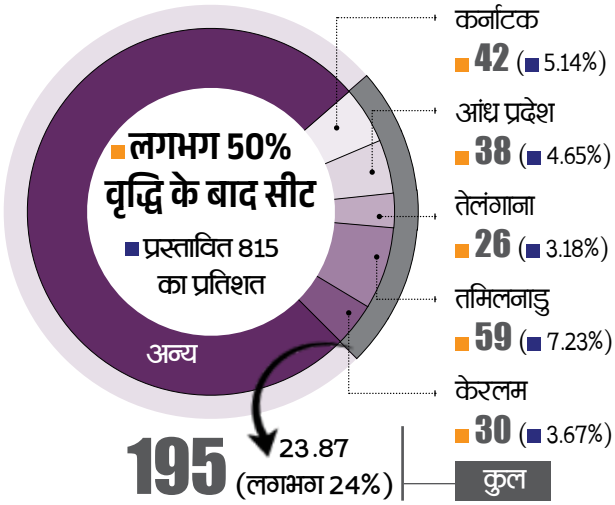

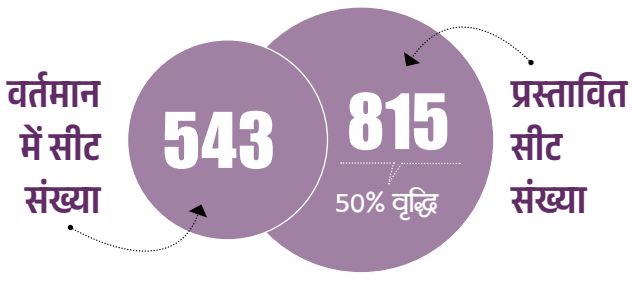

नया भारत और
नारी नेतृत्व
आवरण कथा



Q विपक्ष की निरंतर मांग के बावजूद महिला आरक्षण के अंदर मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा क्यों नहीं दिया गया?

A भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण की नीतियां संविधान में निर्धारित सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित हैं।

Q सरकार ने महिला आरक्षण को वर्ष 2029 तक टालने के बजाय 2024 के आम चुनावों में ही इसे तुरंत लागू क्यों नहीं कर दिया, इसे 2011 की आधार पर ही क्यों नहीं लागू किया गया?



A आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन आवश्यक है। परिसीमन एक व्यापक चर्चा आधारित प्रक्रिया है। परिसीमन पूरा करने में लगभग दो वर्ष लगते हैं। इसलिए महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन विधेयक के साथ ये तीनों विधेयक लाए गए थे।

Q जब 2024 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू नहीं होना था, तो 2023 में महिला आरक्षण विधेयक क्यों लाया गया?

A 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई। नए संसद भवन में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ और राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिली। सबने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और इस प्रकार नारी शक्ति वंदन विधेयक से अधिनियम बन गया।

Q जाति जनगणना को टालने के लिए सरकार यह संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी?

A केंद्र सरकार तीन महीने पहले ही जाति जनगणना की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, इसलिए इसे टालने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान जनगणना प्रक्रिया में पहले घरों की गणना की जा रही है और इसके बाद जब व्यक्तियों की गणना होगी, तब जाति से संबंधित जानकारी भी पूरी तरह दर्ज की जाएगी।

Q महिला आरक्षण को केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में लागू करने के लिए अलग से 'केंद्र शासित प्रदेश विधेयक' क्यों लाया गया था?

A जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं अलग '**UT Act**' से संचालित होती हैं । इन विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए क्रमशः लगभग 38, 23 और 10 सीटें आरक्षित करने के लिए यह तकनीकी संशोधन अनिवार्य था, इसीलिए अलग से 'केंद्र शासित प्रदेश विधेयक' लाया गया था ।

